# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय , जौनपुर

**प्रेषक—**

**परीक्षा नियंत्रक,**
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर

पत्रांक : 1415 / परीक्षा / 2021

दिनांक : 12/11/2021

---

**सेवा में,**

**प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक,**
समस्त सम्बद्व महाविद्यालय,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

**विषय—** उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तीकरण हेतु टेबलेट / स्मार्ट फोन वितरण योजना लागू किये जाने हेतु छात्रों का निर्धारित प्रारूप में डाटा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उच्च शिक्षा अनुभाग—1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या—1600 / सत्तर—1—2021, दिनांक—11 अक्टूबर, 2021 के साथ संलग्न उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास अनुभाग—1, के पत्र दिनांक—30.09.2021 के अनुसार प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तीकरण हेतु टेबलेट / स्मार्ट फोन वितरण योजना प्रस्तावित है। उक्त योजनान्तर्गत लाभार्थी चयन हेतु शासन द्वारा प्रस्तावित वेब पोर्टल पर लाभार्थियों का डाटा निर्धारित प्रारूप में अपलोड किया जाना है।

शासन के निर्देश के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को प्रदत्त यूजर आई.डी. पर सम्बन्धित महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का डाटा निर्धारित प्रारूप में अपलोड कर दिया गया है। यदि अपलोडेड डाटा में कोई त्रुटि पायी जाती है या सुधार अपेक्षित है तो महाविद्यालय द्वारा "रिमार्क" फील्ड में अंकित किया जाय तथा रिमार्क फील्ड में ही महाविद्यालय का पता एवं पिन कोड भी अंकित करना सुनिश्चित करें। विश्वविद्यालय द्वारा अपलोडेड डाटा को महाविद्यालय द्वारा विलम्बतम दिनांक—14.11.2021 तक सत्यापित किया जाना अनिवार्य है। महाविद्यालय द्वारा सत्यापित / वेरिफाइड डाटा ही शासन को प्रेषित किया जायेगा। डाटा सत्यापित किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की है। यदि सत्यापित डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होती है अथवा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि तक डाटा सत्यापित नहीं किया जाता है तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन उत्तरदायी होगा।

शासन की उक्त योजना पूर्णतः निःशुल्क है। इस कार्य हेतु महाविद्यालय द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

भवदीय,

**परीक्षा नियंत्रक**

**प्रतिलिपि**—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग—1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. वित्त अधिकारी / कुलसचिव जी।
5. वित्त अधिकारी जी।
6. उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
7. विशेष कार्याधिकारी कुलपति, मा. कुलपति जी के सूचनार्थ।
8. प्रभारी, वेबमास्टर को उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

**सहायक कुलसचिव**
**(परीक्षा)**